रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 537] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 1981/अग्रहायण 12, 1903
No. 537] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1981/AGRAHAYANA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1981

का० आ० 878(अ):—मैसर्स श्री सीता राम मिल लिमिटेड, बम्बई नामक औद्योगिक उपक्रम, अनुसूचित उद्योग अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग में लगा हुआ है और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं की बाबत उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त गिरावट आई है जिसके लिए विद्यमान आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 15 (अ) (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले की परिस्थितियों की पूरी तरह अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे —

(1)	श्री एम. राजेन्द्रन, उप-महा प्रबन्धक, आई डी. बी. आई बम्बई ।	अध्यक्ष
(2)	श्री एम. जी. मीरचन्दानी, भूतपूर्व निदेशक (तकनीकी) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, बी०—114, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली - 110017	सदस्य
(3)	श्री एम. एस विवाकर निदेशक राष्ट्रीय वस्त्र निगम, (दक्षिणी महाराष्ट्र) बम्बई ।	सदस्य
(4)	श्री एम. वी. कुलकर्नी, महा प्रबन्धक (तकनीकी) महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम	सदस्य
(5)	श्री एस. आर. रे. निदेशक वस्त्र आयुक्त कार्यालय, बम्बई ।	सदस्य सचिव

उक्त निकाय अपनी रिपोर्ट राजपत्र में इन आदेशों के प्रकाशित होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, दे देगा ।

[फा० सं० 3(7)/81-सी.यु.एम.]
आर. एन० चोपड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd December, 1981

S.O. 878(E).—Whereas the Industrial Undertaking known as Messrs Shree Sitaram Mills Limited, Bombay is engaged in a scheduled industry, namely, Cotton Textile Industry;

And whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles, manufactured in the said industrial undertaking for which having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15(a)(i) of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting :

1. Shri S. Rajendra,
General Manager,
IDBL,
Bombay.
...Chairman

2. Shri M. G. Mitchandani,
Formerly Director (Technical),
National Textile Corporation,
B-114, Sarvodaya Enclave,
New Delhi-110017.
..Member

3. Shri M. S. Divakar,
Director,
NTC,
(Maharashtra South),
Bombay.
..Member

4. Shri M. V. Kulkarni,
General Manager (Technical),
Maharashtra State Textile Corporation,
Maharashtra.
..Member

5. Shri S. R. Ray,
Director,
Office of the Textile Commissioner,
Bombay.
..Member-Secretary

The above body shall submit its report within a period of four weeks from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 3(7)|81-CUS]

R. N. CHOPRA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981